



राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या .-1120/2015/.....जिला/उदयपुर

उनवान- सहायक आयुक्त, प्रतिकरापंचन, उदयपुर बनाम् मैसर्स रौनक डिस्ट्रिब्यूटर्स (प्रा.) लि.,11, सारंग मार्ग, उदयपुर।

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
10.07.2015	<p style="text-align: center;"><u>खण्डपीठ</u> श्री मदन लाल, सदस्य श्री ईश्वरी लाल वर्मा,सदस्य</p> <p>अपीलार्थी की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक श्री आर.के.अजमेरा बहस हेतु उपस्थित। प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से कोई उपस्थित नहीं।</p> <p>प्रकरण के संबंध में रिकॉर्ड पत्रावली का अवलोकन किया गया। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 14.01.2015 के द्वारा प्रकरण को निर्णित करने हेतु प्रकरण को कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया है, जबकि उक्त अपील कर बोर्ड के समक्ष पुनः ^{सुनी} बद्ध की जाती रही है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने प्रकरण को तीन माह में निष्पादित करने के आदेश दिये हैं। अतः पत्रावली अविलम्ब निष्पादन हेतु संबंधित कर निर्धारण अधिकारी को प्रेषित की जाये।</p> <p>कर बोर्ड के समक्ष हस्तगत अपील प्रकरण में कोई कार्यवाही आपेक्षित नहीं है।</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  10.7.15 (ईश्वरी लाल वर्मा) सदस्य </div> <div style="text-align: center;">  10.7.15 (मदन लाल) सदस्य </div> </div>	